मनोहर बलवानी
मुख्य महाप्रबंधक एवं कम्पनी सचिव
MANOHAR BALWANI
CGM & Company Secretary

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
POWER FINANCE CORPORATION LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

No:1:05:138:II:C
Date: 26th August, 2021

National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) **MUMBAI – 400 051.** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	**Bombay Stock Exchange Limited,** Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, **MUMBAI – 400 001.** बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001

Sub: Newspaper publication about convening of 35th AGM of PFC Limited through Video Conferencing/Other Audio Visual Means and Book Closure.

Madam/Sir,

In terms of the provisions of Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached the scanned copy of the Notice published in newspapers about convening of 35th AGM of PFC Limited on September 21,2021 through Video Conferencing/Other Audio Visual Means and Book Closure.

This is submitted for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Power Finance Corporation Limited

(Manohar Balwani)
CGM & Company Secretary
mb@pfcindia.com

Business Standard (25.08.2021)

POWER FINANCE CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking)

Regd. Office: Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi- 110001, India
Tel: +91 11 23556000, Fax: +91 11 23512545,
Email id: investorsgrievance@pfcindia.com, Website: www.pfcindia.com
CIN: - L65910DL1986GOI024862

NOTICE

1. Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of Power Finance Corporation Limited will be held through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM') on **Tuesday, September 21, 2021 at 12.30 P.M** in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circulars dated January 13, 2021, April 8, 2020, April 13, 2020 & May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and SEBI Circulars dated May 12, 2020 & January 15, 2021, without physical presence of Members at a common venue.
2. In compliance with the above circulars, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 will be sent only by e-mail, to those shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). Shareholders will have an opportunity to join and participate in the 35th AGM through VC/OAVM facility only and cast their vote on the items of business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting prior to the AGM and through electronic voting system during the AGM. The detailed instructions for remote e-voting or through e-voting system during the AGM and attending the AGM, will be provided in the Notice of the AGM.

   The Notice of the 35th AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 shall be made available on the Company's website www.pfcindia.com and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
3. Shareholders holding the share in physical mode and who have not updated their e-mail IDs, with the Company/Depository Participants as the case may be are requested to visit the website of KFin Technologies Limited https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx for temporary registration of e-mail id of shareholders for the 35th AGM and follow the process on the landing page to receive the Annual Report, AGM Notice and voting instructions.
4. Shareholders may note that the Board of Directors in their meeting held on June 15, 2021 had recommended a final dividend of ₹2 per equity share (subject to deduction of TDS) for the FY 2020-21 which if approved by the members at the Annual General Meeting, will be paid on or after October 20, 2021 to the Members or their mandates whose names appear on the Company's Register of Members on July 2, 2021 in respect of physical shares. In respect of dematerialized shares, the dividend will be payable to the "beneficial owners" of the shares whose names appear in the Statement of Beneficial Ownership furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited at the close of business hours on July 2, 2021.
5. The payment of final dividend will be made electronically through various online transfer modes to those shareholders who have updated their bank details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/cheque will be sent to their registered addresses to avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized form) and with the Company's registrar and share transfer agent (here shares are held in physical mode) to receive the dividend directly into their bank account.
6. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company will be required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"). In order to enable compliance with TDS requirements in respect of dividends declared by the Company in future, members are requested to submit Form 15G/15H on annual basis and update details about their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository Participants or in case of shares held in physical form, with the Company / RTA, so that tax at source, if any as per applicable rates and residential status, may be deducted in respect of dividend payments made by the Company in future
7. Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 and rules made thereunder, the Register of Members and share transfer books of the company will remain closed from 2nd September, 2021 to 21st September, 2021 (both days inclusive), for the purpose of 35th AGM of the Company.
8. In case of any queries, you may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available in the downloads section of KFintech's website https://evoting.kfintech.com or contact Mr. B Srinivas (Unit: POWER FINANCE CORPORATION LIMITED), at einward.ris@kfintech.com and evoting@kfintech.com or call KFintech's toll free No.1-800-309-4001 for any further clarifications.

For and on behalf of Power Finance Corporation Limited
Sd/-
(Manohar Balwani)
CGM &Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 23.08.2021

Business Standard - Hindi (25.08.2021)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजी. कार्यालय : ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, भारत
टेली.: +91 11 23556000, फैक्स: +91 11 23512545,
ईमेल आईडी: investorsgrievance@pfcindia.com, वेबसाइट: www.pfcindia.com
सीआईएन : L65910DL1986GOI024862

सूचना

1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 को दोपहर 12.30 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी किए गए दिनांक 13 जनवरी, 2021, 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और सेबी के दिनांक 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी, 2021 परिपत्रों के अनुपालन में आम स्थल पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों को केवल ई–मेल द्वारा भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारकों के पास केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 35वीं एजीएम में शामिल होने एवं भाग लेने तथा एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय की मदों पर एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने का अवसर होगा। रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम और एजीएम में उपस्थित होने के लिए विस्तृत अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए जाएंगे।

   35वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.pfcindia.com** और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

3. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिन्होंने अपना ई–मेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों), जैसा भी मामला हो, के पास अपडेट नही कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे 35वीं एजीएम के लिए शेयरधारकों के ई–मेल के अस्थाई पंजीकरण के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर जाएं और वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम सूचना प्राप्त करने तथा वोटिंग अनुदेशों के लिए अवतरण पृष्ठ पर दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

4. शेयरधारक कृपया नोट करें कि निदेशक मंडल ने 15 जून, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹ 2 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश (टीडीएस कटौती के अधीन) की सिफारिश की है जो कि यदि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो उसे 20 अक्टूबर 2021 को या उसके बाद उन सदस्यों या उनके मेंडेट्स को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम भौतिक शेयरों के संबंध में 2 जुलाई, 2021 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे। डिमैटीरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में लाभांश शेयरों के उन "लाभार्थी स्वामियों" को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 2 जुलाई, 2021 को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए लाभार्थी स्वामित्व के विवरण में शामिल होगा।

5. अंतिम लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को विभिन्न ऑनलाइन ट्रांसफर माध्यमों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा जिन्होंने अपना बैंक विवरण अपडेट कराया है। जिन शेयरधारकों ने अपना बैंक खाता विवरण अपडेट नहीं कराया है, उन्हें लाभांश प्राप्त करने में होने वाली देरी को रोकने के लिए उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट्स / डिमांड ड्राफ्ट / चेक भेजा जाएगा, शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने के लिए वे अपने डिपॉजिटरी (जहां शेयर डिमैटीरियलाइज्ड रूप में धारित हैं) के पास एवं कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (जहां शेयर भौतिक रूप में धारित हैं) के पास अपना केवाईसी अपडेट कराएं।

6. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में, लाभांश आय 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों को किए जाने वाले भुगतान पर कर योग्य होगी और कंपनी को सदस्यों को लाभांश का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धारित दरों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांशों के संबंध में टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) या भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में कंपनी / आरटीए के पास वार्षिक आधार पर फॉर्म 15जी / 15एच जमा करें और आईटी अधिनियम के अनुसार अपने आवासीय पते, पैन, श्रेणी को अपडेट कराएं जिस से भविष्य में कंपनी द्वारा लाभांश भुगतान करते समय लागू दरों एवं आवासीय स्थिति के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की जाए।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी की 35वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक 2 सितंबर, 2021 से 21 सितंबर, 2021 तक (दोनों दिवस सहित) बंद रहेंगे।

8. किसी भी जानकारी के लिए आप केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध सहायता एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या किसी भी स्पष्टीकरण के लिए श्री बी श्रीनिवास (यूनिटः पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से einward.ris@kfintech.com व evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं या केफिनटेक के टोल फ्री नं. 1–800–309–4001 पर कॉल कर सकते हैं।

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं की ओर से

हस्ता/–

स्थानः नई दिल्ली — (मनोहर बलवानी)

दिनांकः 23.08.2021 — मुख्य महाप्रबंधक एवं कम्पनी सचिव